न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर
पीठासीन अधिकारी :–प्रवीण कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्र.नं. 33/22

ऑन लाईन नम्बर 2022/83 — दायर दिनांक 30.05.2022

अनवान :– — निर्णय दिनांक 29.03.2023

1. श्री वावूलाल पिता लालजी मीणा निवासी विकारा नगर (गैंजी घाटा)तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती दूर्गा पत्नी वावूलाल मीणा निवासी विकासनगर (गैंजी घाटा) तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री हल्का पटवारी मौजा विकासनगर तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राज.

विपक्षीगण

आवंटित कृषि भूमि का खसरा नम्बर तथा रकवा का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज कराने वावत्।
प्रा.पत्र अन्तर्गत 86, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मणसिंह वियोला – प्रार्थीगण की ओर से
2. पैरोकार सरकार – विपक्षीगण की ओर से

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को आवंटित कृषि भूमि का खसरा नम्बर तथा रकवा का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज कराने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 86,136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को आवंटित कृषि भूमि मौजा विकासनगर के हाल खसरा नम्वर 208/2 किस्म सु–III मेसे रकवा 2 वीघा किस्म सु.III भूमि का आवंटन का आवंटन जरिये निसल नम्वर 969/06 आवंटन दिनांक 02.02.2006 विशेष राजस्व अभियान 2006 प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति विछीवाडा तहसील डूंगरपुर, उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश द्वारा आवंटन हुआ। उक्त आवंटित कृषि भूमि के नामान्तरणकरण एवं नक्शा प्रेमदगी के नाम पुराना कब्जा एवं काविज काश्तकारान राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नही होने से दिनांक 19.02.2021 को पेश किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर का विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम नोटिस जारी किये गये।

विपक्षीगण द्वारा वाद जौंच जवाव प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में पटवार हल्का विकास नगर व भू.अ.नि.गैंजी के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार प्रार्थी/वादी श्री वावूलाल पिता लालजी मीणा, श्रीमती दूर्गा पत्नी वावूलाल भील निवासी विकासनगर राजस्व ग्राम विकासनगर के साविक खसरा नम्वर 208/2 जिसके हाल खसरा नम्वरान में से खसरा नम्वर 940 रकवा 0.32 है. पर काविज है। उक्त भूमि विवाद रहित है तथा डूंगरपुर–सीमलवाडा राज्य मार्ग से करीव 250 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त आवंटित भूमि नदी–नाले, शमशान, कब्रिस्तान की भूमि में नही पडती है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का अमल–दरामद नही हुआ है।

प्रार्थीगण आदिवासी काश्तकारान है तथा कृषि भूमि आवंटन के वाद नामान्तरण गैर खातेदारी–खातेदारी की जानकारी नही हो पायी हाल राजस्व रेकॉर्ड में किसी तरह इन्द्राज

...ह गया तथा जानकारी होने पर प्रार्थीगण काश्तकार का अधिकार खातेदारी ...दन किया है। प्रार्थी की ओर से निर्धन भूमि आवंटन सलाहकार समिति निर्णय ...आन मिसल नम्बर 069/2006 कैम्प विकासनगर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एव पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने ...ना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी/वादी श्री बाबूलाल पिता लालजी मीणा, श्रीमती दूर्गा पत्नी बाबूलाल भील भील निवासी विकासनगर राजस्व ग्राम विकासनगर के साबिक खसरा नम्बर 208/2 जिसके हाल खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 940 रकबा 0.32 है. पर काबिज है। जिसका नामान्तरकरण एवं काबिज काश्तकार राजस्व रेकॉड में इन्द्राज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने तहसीलदार डूंगरपुर की जॉच रिपोर्ट अनुसार जवाब का समर्थन करते हुये प्रार्थीगण श्री बाबूलाल पिता लालजी मीणा, श्रीमती दूर्गा पत्नी बाबूलाल भील निवासी विकासनगर राजस्व ग्राम विकासनगर के साबिक खसरा नम्बर 208/2 जिसके हाल खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 940 रकबा 0.32 है. पर काबिज है। जिसका नामान्तरकरण एव काबिज काश्तकार राजस्व रेकॉड में इन्द्राज किया जाने निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण श्री बाबूलाल पिता लालजी मीणा, श्रीमती दूर्गा पत्नी बाबूलाल भील निवासी विकासनगर राजस्व ग्राम विकासनगर के साबिक खसरा नम्बर 208/2 जिसके हाल खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 940 रकबा 0.32 है. पर काबिज है। जिसका नामान्तरकरण एवं काबिज काश्तकार राजस्व रेकॉड में इन्द्राज किया जाने तथा मौके पर काबिज अनुसार पेमुदगी अनुसार किये जाने आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(...)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

4/6/25 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 11/6/25 को पेश हो।

ADM
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

11/6/25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। गत पेशी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्रशासन गांव के संग अभियान में आवंटित हुई है। वर्तमान में इस आराजी के विपक्षी संख्या 1 व 2 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। किसी खातेदार को स्थगन द्वारा पाबंद करना व उसके विरुद्ध स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर